

प्रकरण संख्या 78/2025

अनवान गुरदीप सिंह बनाम रानीबाई आदि

29.8.2025



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीया जरिये अधिवक्ता स्वयं हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल है। मुताबिक राजीनामा चक 17 एमकेएस के प.न. 163 /243 मु. न. 58 किला नं. 6/1 मे से 0.012 है. दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीया के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी,
ससरिया